



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052020-219422
CG-DL-E-18052020-219422

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1340]
No. 1340]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2020/वैशाख 25, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2020/VAISAKHA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2020

का. आ. 1499 (अ). —केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161A के कि.मी. 40/00 से कि.मी.63/00 (मौजे हातना से साखरडोह खंड) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 22/01/2020 को मातृभूमी और 23/01/2020 को लोकपाथ दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में NH161A के कि.मी. 40/000 से कि.मी.63/000 (मौजे हातना से साखरडोह खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वाशिम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मनोरा				
	गांव का नाम: आमगव्हाण				
1	11	निजी	एग्रीकल्चर	0.003	मधुकर नारायण राठोड, जोगलकिशोर राधेश्याम हेडा (११/६)
	गांव का नाम: डोंगरगाव				
2	25	निजी	एग्रीकल्चर	0.044	फुलसिंग रामधन नोळे, दीपा अभिजीत पाटील, महेंद्र मोहनसीन चव्हाण (२५/३)
			कुल	0.0470	

[फा. सं. RW/NH-12014/168/2016/MAH-P6/3A1/3D1]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

Notification

New Delhi, the 15th May, 2020

S.O. 1499(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH161A in the stretch of land from Km. 40/000 to Km. 63/000 (Hatana to Sakhardoh Section) in District Washim in the State of Maharashtra

And whereas the substance of the said notification has been published in “Matrubhumi” on “22/01/2020” and “Lokpath” on “23/01/2020” under sub-section (3) of section 3A of the said Act; And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority; And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government; Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161A in the stretch of land from Km. 40/000 to Km. 63/000 (Hatana to Sakhardoh Section) in District Washim in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: WASHIM		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Manora				
	Viilage: Aamgawhan				
1	11	Private	Agriculture	0.003	Madhukar Narayan Rathod, Jogalkishor Radhesham Heda 11/6
	Viilage: Dongargaon				
2	25	Private	Agriculture	0.044	Phulsingh Ramdhan Nole, Deepa Abhijeet Patil, Mahendra Mohansingh Chavan 25/3
			TOTAL	0.0470	

[F.No. RW/NH-12014/168/2016/MAH-P6/3A1/3D1]

Rajesh Gupta, Dy. Secy.